

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-701

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

किसानों को बिजली राजसहायता का पुनरीक्षण

701. श्री हिबी ईडन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संसाधनों के अति-दोहन को नियंत्रित करने के लिए किसानों हेतु बिजली राजसहायता के पुनरीक्षण हेतु उपाए किए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यथा-अनुपात बिजली प्रशुल्क के माध्यम से किसानों के संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए उपाए किए गए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकार किसानों सहित उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी को राज्य आयोग द्वारा नियत टैरिफ में उस सीमा तक जिसे वे उपयुक्त समझते हैं, सब्सिडी दे सकती है। कई राज्य सरकारें किसानों सहित जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती हैं।

इस बात को मानते हुए कि भू-जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए विद्युत का किफायती मूल्य निर्धारण एक प्रमुख साधन हो सकता है, टैरिफ नीति, 2016 कृषि टैरिफ निर्धारित करते समय सतत रीति में भू-जल संसाधनों के उपयोग की अनिवार्यता पर बल देती है ताकि भू जल के अत्यधिक अवक्षय को रोका जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-703

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले कोयला विद्युत संयंत्र

703. श्रीमती किरण खेर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देशभर में उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले कोयला विद्युत संयंत्रों की पहचान की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या विगत वर्षों की तुलना में बिजली की मांग उत्सर्जन स्तरों में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) बिजली की मांग में अत्यधिक गिरावट के आलोक में फ्लू-गैस डीसल्फीकरण (एफडीजी) और अन्य उत्सर्जन संबंधी उन्नयनों को शीघ्र करना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस मुक्त गतिविधि है; और तकनीकी-वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर विद्युत उत्पादक इकाइयों को कार्यमुक्त करने का निर्णय संबंधित यूटिलिटियों द्वारा लिया जाता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि संबंधित यूटिलिटियों ने तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिए गए निर्णयों के अनुसार, 01.04.2002 से 31.08.2020 तक 14121.38 मेगावाट क्षमता की कुल 164 कोयला आधारित इकाइयां कार्यमुक्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, सीईए ने सूचित किया है कि 5139 मेगावाट क्षमता की 34 इकाइयां, जिन्होंने उत्सर्जन प्रतिमानकों के अनुपालन के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है, को चिन्हित किया गया है। इन इकाइयों को उत्सर्जन प्रतिमानकों के अनुपालन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा दी गई चरणबद्ध योजना और समय सीमा के अनुसार सेवामुक्त/बंद किया जाएगा।

(ग): सीईए ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों में अर्थात् 2017-18 से 2019-20 के दौरान वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति के निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार देश में पिछले कुछ समय से ऊर्जा की दृष्टि से विद्युत की मांग बढ़ रही है। यद्यपि, चालू वर्ष 2020-21 में, कोविड -19 महामारी के कारण पहली तिमाही में विद्युत ऊर्जा की मांग में मामूली कमी आई थी, जो अब धीरे-धीरे बढ़ी है।

वर्ष	ऊर्जा की आपूर्ति / खपत	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
	(मि. यू.)	(%)
2014-15	1,030,785	6.8
2015-16	1,090,850	5.8
2016-17	1,135,334	4.1
2017-18	1,204,697	6.1
2018-19	1,267,526	5.2
2019-20	1,284,444	1.3
2020-21 *	5,13,528	(-)4.0

* 2020-21 (केवल अप्रैल से अगस्त, 2020 तक) - कोविड -19 के कारण महामारी की अवधि

सीईए देश में सभी ग्रिड से जुड़े तापीय विद्युत स्टेशनों (टीपीएस) के लिए एक CO₂ डेटाबेस संकलित करता है और CO₂ के टन प्रति मेगावाट घंटा (TCO₂/MWh) के संदर्भ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात टीपीएस के लिए CO₂ डेटाबेस प्रकाशित करता है। इस डेटाबेस का उद्देश्य CO₂ उत्सर्जन बेसलाइन का प्रामाणिक और सुसंगत परिमाण स्थापित करना है। टीपीएस के संबंध में TCO₂/MWh में पिछले 5 वर्षों के उत्सर्जन कारक नीचे दिए गए हैं:

उत्सर्जन कारक (TCO ₂ /MWh) (आयात को छोड़कर)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
भारत औसत उत्सर्जन दर	0.83	0.82	0.83	0.82	0.82	0.82*

* अंतरिम

यह ध्यान देने योग्य है कि देश में गैर-जीवाश्म विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी 2014-15 में 20.9% से बढ़कर 2019-20 में 24.9% हो गई है, जिसके कारण समय उत्सर्जन में कमी आई है।

(घ): देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, सीईए द्वारा हितधारकों के परामर्श से सल्फर ऑक्साइड (SO_x) के नियंत्रण हेतु फ्लू गैस डी-सल्फीकरण (एफजीडी) की स्थापना करने, कण पदार्थ (पीएम) नियंत्रण हेतु उपयुक्त तकनीक और उत्सर्जन नियंत्रण प्रतिमानों के अन्य मानदंडों को अपनाने के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत तापीय विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से उत्सर्जन प्रतिमानों का अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-704

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

कोयला विद्युत संयंत्र

704. श्री रवनीत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कोयला विद्युत संयंत्र विश्व में सबसे अधिक अस्वस्थ्यकर हैं, जो आम नागरिक के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं और वैश्विक तापमान में भी योगदान कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस संबंध में फ्लू-गैस उपचार, इन अस्वस्थ्यकर विद्युत संयंत्रों को बंद करना और उपयुक्त विकल्प खोजने इत्यादि जैसे कोई कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): भारत सहित दुनिया भर में स्थित कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण कार्बन और कार्बन ऑक्साइड के विभिन्न व्युत्पन्नो का उत्सर्जन करते हैं और वैश्विक तापमान बढ़ाने में सहायक होते हैं। देश में तापीय विद्युत संयंत्रों से कोयले की निम्न गुणवत्ता (उच्च राख सामग्री) के कारण कार्बन ऑक्साइड का उत्सर्जन अपेक्षाकृत अधिक है, और इसके अतिरिक्त भारत में उच्च परिवेशी वायु तापमान और क्लिंग वाटर तापमान के कारण कोयले की खपत अधिक है जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ): देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, सल्फर ऑक्साइड (SO_x) के नियंत्रण हेतु फ्ल्यू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) की स्थापना करने, कण पदार्थ (पीएम) नियंत्रण हेतु उपयुक्त तकनीक और उत्सर्जन नियंत्रण प्रतिमानकों के अन्य मानदंडों को अपनाने के लिए हितधारकों के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने तापीय विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से उत्सर्जन प्रतिमानकों का अनुपालन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए हैं।

अपने तकनीकी आर्थिक कारण, पर्यावरणीय प्रतिमानकों का अनुपालन न करने या किसी अन्य कारणों से यूनिट को बंद करने या कार्यमुक्त करने का निर्णय संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिया जाता है। जो तापीय विद्युत संयंत्र उत्सर्जन नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन करने में असमर्थ हैं, वे संयंत्र सीपीसीबी द्वारा दी गई चरणबद्ध योजना और समय सीमा के अनुसार बंद/कार्यमुक्त किए जाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-705

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

कोयला चालित संयंत्रों को बंद करना

705. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सभी पुराने समस्याग्रस्त कोयला चालित संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन्हें बंद करने के कारण विद्युत वितरण कंपनियों पर नियत लागत भार को कम करने में मदद मिलेगी और नए संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु स्थान मिलेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 20 वर्ष से पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करने से करोड़ों रुपए की बचत होगी और आगे निर्माण के प्रारंभिक चरणों में कोयला संयंत्रों पर होने वाले व्यय को बचाया जा सकेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी खजाने से धन बचाने और संवहनीय, स्वच्छ और दक्ष ऊर्जा स्रोत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : 20 वर्ष से अधिक पुराने तापीय विद्युत संयंत्र, जिन्होंने निर्धारित उत्सर्जन नियंत्रण प्रतिमानकों का अनुपालन करने की योजना प्रस्तुत नहीं की है, की सूची अनुबंध में दी गई है। इन संयंत्रों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा दी गई चरणबद्ध योजना और समय सीमा के अनुसार बंद या कार्यमुक्त किया जाएगा। तापीय विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) का प्रदर्शन संयंत्र की अवधि के बजाय इसके प्रचालन एवं रखरखाव, उपकरण की स्थिति, संयंत्र की प्रौद्योगिकी, तकनीकी मापदंडों, स्टेशन की ताप दर, ईंधन की गुणवत्ता आदि पर निर्भर करता है।

(ख) : जी नहीं, मूल्यहास के कारण पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों में निर्धारित लागत बहुत ही कम है।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : उपरोक्त (ग) को ध्यान रखते हुए, लागू नहीं है। तथापि, ऊर्जा के संधारणीय, स्वच्छ और प्रभावी स्रोत की ओर बढ़ने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (सौर से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ii. भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए अपना राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) अभिप्रेत प्रस्तुत किया है। अपने आईएनडीसी में, भारत ने वर्ष 2005 के स्तर से कम वर्ष 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक अपने जीडीपी के उत्सर्जन की तीव्रता को सुधारने का संकल्प लिया है। वर्ष 2030 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का भी वचन दिया है।
- iii. कोयला आधारित उत्पादन का मुख्य ध्यान उच्च भाप मापदंडों के उपयोग के साथ दक्षता में सुधार पर रहा है और इससे ईंधन की खपत कम हुई है और ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आई है।
- iv. कोयले से उत्पादित बिजली उत्पादन की दक्षता बढ़ाने, कोयले की खपत कम करने और CO₂ उत्सर्जन को कम करने के लिए तापीय विद्युत संयंत्रों में सुपरक्रिटिकल संयंत्रों को अपनाना।
- v. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 7 दिसंबर, 2015 को कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए नए उत्सर्जन प्रतिमानकों को अधिसूचित किया गया है और नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने के लिए सभी टीपीपी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सीपीसीबी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 705 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्सर्जन नियंत्रण मानकों का अनुपालन करने के लिए योजना प्रस्तुत न करने वाली ताप विद्युत इकाइयों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य	सेक्टर	संगठन	परियोजना का नाम	उपयोग किया गया ईंधन	यूनिट सं.	क्षमता (एमडब्ल्यू)	चालू करने की तिथि	अवधि	
1	उ.क्षे.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा टीपीएस	कोयला	1	110.00	1/17/1983	37.56	
2	उ.क्षे.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा टीपीएस	कोयला	2	110.00	7/13/1983	37.08	
3	उ.क्षे.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा टीपीएस	कोयला	3	210.00	9/25/1988	31.87	
4	उ.क्षे.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा टीपीएस	कोयला	4	210.00	5/1/1989	31.27	
5	उ.क्षे.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस	कोयला	7	105.00	3/31/1978	42.36	
6	उ.क्षे.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा टीपीएस	कोयला	7	94.00	12/14/1974	45.66	
7	उ.क्षे.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	परीछा टीपीएस	कोयला	1	110.00	3/31/1984	36.36	
8	उ.क्षे.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	परीछा टीपीएस	कोयला	2	110.00	2/25/1985	35.45	
9	प.क्षे.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसपीजीसीएल	कोरबा-III	कोयला	1	120.00	3/22/1976	44.39	
10	प.क्षे.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसपीजीसीएल	कोरबा-III	कोयला	2	120.00	4/5/1981	39.35	
11	प.क्षे.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसपीजीसीएल	कोरबा-पश्चिम टीपीएस	कोयला	1	210.00	3/30/1984	36.36	
12	प.क्षे.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसपीजीसीएल	कोरबा-पश्चिम टीपीएस	कोयला	2	210.00	6/21/1983	37.14	
13	प.क्षे.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसपीजीसीएल	कोरबा-पश्चिम टीपीएस	कोयला	3	210.00	3/26/1985	35.37	
14	प.क्षे.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसपीजीसीएल	कोरबा-पश्चिम टीपीएस	कोयला	4	210.00	3/13/1986	34.41	
15	द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	डॉ.एन.टाटा राव टीपीएस	कोयला	1	210.00	11/1/1979	40.78	
16	द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	डॉ.एन.टाटा राव टीपीएस	कोयला	2	210.00	10/10/1980	39.83	
17	द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	डॉ.एन.टाटा राव टीपीएस	कोयला	3	210.00	10/5/1989	30.84	
18	द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	डॉ.एन.टाटा राव टीपीएस	कोयला	4	210.00	8/23/1990	29.96	
19	द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	डॉ.एन.टाटा राव टीपीएस	कोयला	5	210.00	3/31/1994	26.35	
20	द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	डॉ.एन.टाटा राव टीपीएस	कोयला	6	210.00	2/24/1995	25.45	
21	द.क्षे.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टेनजेडको	थोथुकुडी टीपीएस	कोयला	1	210.00	7/9/1979	41.09	
22	द.क्षे.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टेनजेडको	थोथुकुडी टीपीएस	कोयला	2	210.00	12/17/1980	39.65	
23	द.क्षे.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टेनजेडको	थोथुकुडी टीपीएस	कोयला	3	210.00	4/16/1982	38.32	
24	पू.क्षे.	झारखंड	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	बोकारो 'बी' टीपीएस	कोयला	3	210.00	8/1/1993	27.02	
25	पू.क्षे.	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	दुर्गापुर टीपीएस	कोयला	4	210.00	9/1/1982	37.94	
26	पू.क्षे.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बंदेल टीपीएस	कोयला	1	60.00	9/1/1965	54.95	
27	पू.क्षे.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बंदेल टीपीएस	कोयला	2	60.00	10/1/1965	54.87	
28	पू.क्षे.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बंदेल टीपीएस	कोयला	5	210.00	10/8/1982	37.84	
29	पू.क्षे.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सीईएससी	टीटागढ़ टीपीएस	कोयला	1	60.00	3/17/1985	35.40	
30	पू.क्षे.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सीईएससी	टीटागढ़ टीपीएस	कोयला	2	60.00	12/12/1982	37.66	
31	पू.क्षे.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सीईएससी	टीटागढ़ टीपीएस	कोयला	3	60.00	4/26/1983	37.29	
32	पू.क्षे.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सीईएससी	टीटागढ़ टीपीएस	कोयला	4	60.00	1/16/1984	36.56	
कुल							32	5019.00			

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-715

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

715. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर हाल में आई बाढ़ के बाद केरल में जल विद्युत पावर परियोजनाओं के नवीकरण/आधुनिकीकरण की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य विद्युत बोर्ड (के एस ई बी) ने जल विद्युत पावर परियोजनाओं की बढ़ती अनुरक्षण लागत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से और अधिक धनराशि मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 2018, 2019 और हाल ही में वर्ष 2020 में आई बाढ़ के बाद 19 हाइड्रो-इलेक्ट्रिक संयंत्रों की मरम्मत के लिए पुनरूद्धार कार्य किए गए थे जिनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) : केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने हाइड्रो-इलेक्ट्रिक संयंत्रों की प्रचालन एवं रख-रखाव लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) से कोई राशि नहीं मांगी है।

हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण से संबंधित लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 715 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन स्टेशनों का विवरण जहां वर्ष 2018 एवं 2019 में बाढ़ के बाद पुनरुद्धार कार्य पूरा हुआ

क्र.सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता मेगावाट में
1.	इडमलयर एचईपी	2x37.5 = 75
2.	लोअर पेरियार विद्युत गृह एचईपी	3x60 = 180
3.	पल्लीवासल एचईपी	3x5+3x7.5=37.5
4.	उरुमी II एसएचईपी	3x0.8= 2.4
5.	पूझीथोड एसएचईपी	3x1.6=4.8
6.	पीएलबीई एसएचईपी	1x16= 16
7.	पोरिंगलकुत्तु	4x9 = 36
8.	पन्नियार	2x16.2=32.4
9.	मलमपूझा	1x2.5=2.5
10.	पीछी	1x1.25=1.25
11.	विलंगाड	3x2.5=7.5
12.	चिम्मोनी	1x2.5=2.5
13.	अद्यानपारा	2x1.5+0.5=3.5
14.	मदुपट्टी	1x2=2
15.	चेम्बुकडवु- 2	3x1.25=3.75
16.	रान्नी-पेरीनाडु	2x2=4
17.	बारापोल	3x5=15
18.	वेल्लाथूवल*	2x1.8=3.6
19.	पेरुथेनारूवी	2x3=6

* पुनरुद्धार कार्य चल रहा है।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन स्टेशनों का विवरण जहां वर्ष 2020 में बाढ़ के बाद पुनरुद्धार कार्य पूरा हुआ।

क्र.सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता मेगावाट में
1.	रान्नी-पेरीनाडु एसएचईपी**	2x2=4
2.	पेरुथेनारूवी एसएचईपी	2x3=6
3.	विलंगाड एसएचईपी	3x2.5=7.5
4.	पूझीथोड एसएचईपी	3x1.6=4.8

** दूसरी मशीन के पुनरुद्धार का काम चल रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-767

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

बिजली की चोरी

767. श्री रामचरण बोहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली की चोरी का विद्युत क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का देश में बिजली की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों के परामर्श से कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां, बिजली की चोरी से विद्युत वितरण यूटिलिटीयों को नुकसान होता है तथा इस तरह उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तायुक्त विद्युत की आपूर्ति करने की उनकी क्षमता बाधित होती है। वित्त वर्ष 18-19 में देश में विद्युत वितरण यूटिलिटीयों का सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां 22.03% थीं।

(ग) से (ङ.) : विद्युत अधिनियम, 2003 (धारा 126 तथा धारा 135 से 140) में (विद्युत की चोरी और अनाधिकृत उपयोग से संबंधित) एवं विशेष न्यायालयों (विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग xv) द्वारा ऐसे अपराधों की तीव्र सुनवाई तथा कठोर दंडात्मक प्रावधान सहित विशेष प्रावधान हैं। भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत वितरण स्कीम के अंतर्गत विद्युत की चोरी तथा एटी एंड सी हानियों को कम करने के उद्देश्य से वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए राज्यों को सहयोग प्रदान किया है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-800

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी के अंतर्गत विद्युत संयंत्र

800. एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नाफ्था की कीमत में भारी कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार का एनटीपीसी के अंतर्गत कायमकुलम में राजीव गांधी कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन को पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार का केरल सरकार और विद्युत की कमी वाले अन्य राज्यों सहित इसके हितधारकों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ): कायमकुलम स्थित एनटीपीसी का राजीव गांधी कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट (आरजीसीसीपीपी) विद्युत आपूर्ति हेतु लाभार्थी राज्य द्वारा दिए गए शेड्यूल के तहत हर समय विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध है। केरल राज्य को पूर्ण विद्युत आवंटन सहित यह अकेला ऐसा लाभार्थी राज्य स्टेशन है, जिसका इस समय संचालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसे केरल से कोई शेड्यूल प्राप्त नहीं हो रहा है । एनटीपीसी ने नाफ्था की कीमत में कमी के कारण कम ऊर्जा प्रभार दर के साथ इस स्टेशन को संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। तथापि, अभी तक स्टेशन को केरल द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिए शेड्यूल नहीं किया गया है। केरल राज्य, जो इस परियोजना का एकमात्र लाभार्थी है, द्वारा किसी बैठक के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-802

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों को हानि

802. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत वितरण कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए कोई योजना या रणनीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों को हुई हानि के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान वितरण यूटिलिटीयों के लिए लाभ/(हानि) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-1 पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) : वितरण कंपनियों की हानियों का राज्यों और उनकी यूटिलिटीयों के साथ मूल्यांकन किया जाता है तथा निरंतर चर्चा की जाती है। वितरण कंपनियों की हानि के कई कारण होते हैं, जिनमें उच्च एटी एंड सी हानियां; टैरिफ में लागत पर विचार नहीं किया जाना; शामिल नहीं किए गए राजस्व अंतर, राज्यों द्वारा घोषणाओं के अनुरूप सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाना आदि शामिल हैं।

विद्युत के वितरण और वितरण कंपनियों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता के प्रबंधन की निगरानी संबंधित राज्यों एवं उनकी यूटिलिटीयों द्वारा की जाती है। भारत सरकार, फीडरों के पृथक्करण, आईटी समर्थ बनाने, ऊर्जा लेखांकन को सुगम बनाने के लिए फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों तथा उपभोक्ताओं की मीटरिंग जैसे उपायों द्वारा हानि में कमी करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) जैसी योजनाओं के अंतर्गत राज्यों की सहायता कर रही है। इसके

अतिरिक्त, सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को कम करते हुए वितरण यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्यापलट के लिए, सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की है।

सरकार द्वारा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को कम करने, आपूर्ति की औसत लागत- वसूले गए औसत राजस्व (एसीएस-एआरआर) के अंतर को कम करने; और सब्सिडी के भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत जैसे कुछ सुधार उपायों को कोविड-19 के मद्देनजर राज्यों को प्रदान किए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25% की अतिरिक्त ऋण अनुमति के साथ जोड़ दिया है। सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर विद्युत क्षेत्र के लिए लिक्विडिटी निषेचन पैकेज के संवितरण को भी बिजली के बिलों के डिजिटल भुगतान, उपभोक्ताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन में सक्षम बनाने, वितरण कंपनियों के बकाया भुगतान को चुकता करने हेतु राज्यों के वचन-पत्र, सरकारी विभागों में स्मार्ट प्रीपेड अथवा प्रीपेड मीटर लगाने, देय सब्सिडी का समय से भुगतान जैसे सुधार उपायों के साथ जोड़ दिया है और अगले तीन से चार वर्षों में अपनी हानियों को कम करने के लिए राज्यों द्वारा एक कार्रवाई योजना उपलब्ध कराई जानी है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 802 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों में वितरण यूटिलिटीयों को कर पश्चात लाभ (पीएटी)

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	(2,282)	(2)	(11,934)
अरुणाचल प्रदेश	(324)	(429)	(428)
असम	(34)	165	21
बिहार	(1,257)	(2,650)	(2,409)
छत्तीसगढ़	(422)	(279)	(42)
दिल्ली	404	491	799
गोवा	(283)	26	(172)
गुजरात	275	426	184
हरियाणा	(193)	412	281
हिमाचल प्रदेश	(111)	4	4
जम्मू और कश्मीर	(4,063)	(2,999)	(2,902)
झारखंड	(1,741)	(212)	(751)
कर्नाटक	(1,119)	(522)	970
केरल	(1,495)	(784)	(290)
मध्य प्रदेश	(1,470)	(5,284)	(7,159)
महाराष्ट्र	785	492	1,097
मणिपुर	(15)	(8)	(19)
मेघालय	(343)	(287)	(203)
मिजोरम	(147)	87	(83)
नागालैंड	(62)	(62)	(325)
ओडिशा	(913)	(792)	(1,539)
पुदुच्चेरी	(8)	6	(36)
पंजाब	(2,836)	(907)	(38)
राजस्थान	(1,981)	2,173	2,607
सिक्किम	(115)	(29)	(3)
तमिलनाडु	(4,349)	(7,761)	(12,623)
तेलंगाना	(6,202)	(5,485)	(8,019)
त्रिपुरा	40	28	21
उत्तर प्रदेश	(3,322)	(5,002)	(6,032)
उत्तराखंड	(289)	(229)	(553)
पश्चिम बंगाल	(25)	(40)	(45)
कुल योग	(33,894)	(29,452)	(49,623)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-804

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

कृषि सिंचाई सबमर्सिबल पम्प सेट

804. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में 5-स्टार रेटिंग वाले कृषि सिंचाई सबमर्सिबल पम्प सेट के विनिर्माताओं के नाम और सूची क्या हैं;
- (ख) क्या तैयार की गई यह सूची अद्यतन है और वर्तमान बाजार स्थितियों के तर्ज पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से 2-स्टार और 3-स्टार वाले कृषि सिंचाई सबमर्सिबल पम्प सेट्स की अधिप्राप्ति के संबंध में राज्यों को कोई नया परामर्श जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या भारत में विनिर्माताओं द्वारा 5-स्टार रेटिंग को प्राप्त करना मात्र एक आकांक्षा ही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में भारतीय पम्प सेट्स विनिर्माताओं, विशेषकर दक्षिण के राज्यों के विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : बीईई के शासकीय पोर्टल पर 31 जुलाई, 2020 तक विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत, 5-स्टार रेटिंग वाले पम्प सेट मॉडलों के विनिर्माताओं की सूची अनुबंध पर दी गई है।

(ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) : बीई ने वर्ष 2009 में पम्प सैटों के लिए स्टार रेटिंग योजना जारी की थी। प्रचलन के अनुसार, विभिन्न उपकरणों की स्टार रेटिंग योजना आवधिक रूप से उन्नत की जाती है। पम्प सैटों के लिए स्टार रेटिंग योजना पिछली बार फरवरी, 2020 में उन्नत की गई थी। स्टार रेटिंग योजना के तहत, भारतीय बाजारों में उपलब्ध और व्यावसायिक रूप से बेचे जाने वाले सार्वजनिक कुशल उत्पादों को 5-स्टार रेटिंग दी जाती है। विनिर्माता, समय-समय पर, अधिक कुशल मॉडल विकसित करने का प्रयास करते हैं और उनके ऊर्जा निष्पादन मानकों के आधार पर, ऐसे कुशल मॉडलों को उच्चतर रेटिंग में पंजीकृत करने हेतु आवेदन करते हैं।

(ड.) : यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी संशयवादी है और इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि यह पम्पसैट बाजार को उच्चतर ऊर्जा कुशलता की ओर रूपान्तरित करे। भारतीय विनिर्माताओं को अधिक कुशल पम्पसैट मॉडलों का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 804 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बीईई के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत पंजीकृत 5 स्टार पंपसेट मॉडल वाले निर्माताओं की सूची

क्रम सं.	विनिर्माता का नाम	विनिर्माता का पता	5 स्टार श्रेणी में मॉडल की संख्या
1	केएसबी लिमिटेड	ई-3/4 एमआईडीसी मालेगांव, सिन्नर, नासिक 422113, सिन्नर, नासिक, महाराष्ट्र, 422113	14
2	ला-गज्जर मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड	4,श्रीनाथ एस्टेट, अम्बा एस्टेट के पीछे, नवनीत प्रकाशन रोड, रखियाल, अहमदाबाद, गुजरात, 380023	1
3	अमृत इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	दूसरा तल, मोतीलाल सेंटर, दिनेश हॉल के पास, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380 009	15
4	सी.आर.आई पम्पस प्राइवेट लिमिटेड	7/46-1,कीरानथम रोड, सरवनमपट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु- 641035.	8
5	एक्वासुब इंजीनियरिंग	तूडियालुर पोस्ट, कोयम्बटूर,, तमिलनाडु- 641034	1
6	इयूक प्लास्टो टेक्नीक प्राइवेट लिमिटेड	एन.एच.14,दीसा हाईवे, होटल ग्रीन वुड के सामने, पालनपुर, गुजरात- 385510	1
7	सिल्वर इंजीनियरिंग कंपनी	राजकोट-गोंदल हाईवे, किसान पेट्रोल पम्प के पास, मैगोटीऑक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पीछे, कंगसीयाली, राजकोट गुजरात- 360002	5
8	शक्ति पम्पस (इंडिया) लिमिटेड	प्लॉट नं. 401, सेक्टर III, इंडस्ट्रीयल एरिया, पीतमपुर, जिला-धार, मध्य प्रदेश-454774	1
9	विक्रम पम्पस	एस.एफ. नं. 483/2सी – 4ए, एल्लाईथोट्टम रोड, कृष्णाम्मल कॉलेज कम्पाउंड, ईस्ट पीलामेडु, कोयम्बटूर, तमिलनाडु - 641004	3

10	डेक्कन इंडस्ट्रीज	न्यू नं. -1390 / ओल्ड नं. -259, साठे रोड, गणपति, कोयम्बटूर, तमिलनाडु - 641006	8
11	क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड	पम्प्स डिवीजन, सी-19, एम.आई.डी.सी., अहमदनगर, महाराष्ट्र- 414111	6
12	रिकिन पम्प्स	शेड नं. 5, श्रीनाथजी एस्टेट, सत्यनारायण वे ब्रिड के पीछे, गोदंल रोड, राजकोट, गुजरात - 360003	3
13	कालामा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	"कालामा हाउस ",मालवा कॉलेज के पास, बाय पास, निपनिया, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010	1
14	मोनी एगो इंडस्ट्रीज	212/4 पालदा इंडस्ट्रीयल एरिया, पाथर मुण्डला रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452020	2
15	पामफिलोस पम्प्स प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट 8-14, जयन्त इंडस्ट्रीयल एस्टेट 5, कोठारिया विलेज रोड, लोथडा, जिला - राजकोट, गुजरात - 360022	1
कुल			70

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-818

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग

818. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में विद्युत क्षेत्र में विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 250 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के निवेश की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विद्युत की आपूर्ति निरंतर घट रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या औसत 'प्लांट लोड फैक्टर' भी वर्ष 2014-15 में 64.46 प्रतिशत से घटकर जुलाई, 2020 तक 48.28 प्रतिशत पर आ गया है; और (घ) मांग और आपूर्ति के ग्राफ को संतुलित करने और विद्युत क्षेत्र में आपूर्ति में 100 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने के लिए सरकार का क्या विचार है?
- (घ) मांग और आपूर्ति के ग्राफ को संतुलित करने और विद्युत क्षेत्र में आपूर्ति में 100 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने के लिए सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन (एनआईपी) रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत क्षेत्र अर्थात् उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों में प्रक्षेपित पूंजी व्यय 14,10,428 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक देश में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी तुलना में 31 अगस्त, 2020 तक 88,793.39 मेगावाट संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित कर दी गई है। 86,206.61 मेगावाट के शेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए 4,74,136.35 करोड़ रुपये के निवेश का प्राक्कलन किया गया है।

(ख) : जी नहीं। देश में विद्युत उत्पादन क्षमता की कोई कमी नहीं है। संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 372 गीगावाट है जबकि अभी तक व्यस्ततम मांग लगभग 184 गीगावाट ही रही है।

(ग) : कोयला एवं लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों का अखिल भारतीय औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) वर्ष 2014-15 में 64.46 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 (जुलाई, 2020 तक) में 48.32 प्रतिशत हो गया है। चालू वर्ष में निम्न पीएलएफ मुख्यतः कोविड-19 के कारण है। तथापि, अप्रैल, 2020 से प्रत्येक माह में विद्युत की मांग बढ़ने के साथ-साथ, पीएलएफ अगस्त, 2020 में बढ़कर 49.01 प्रतिशत हो गया है।

(घ) : विद्युत की कोई कमी नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-819

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की मांग

819. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मार्च-सितंबर, 2020 के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग की खपत का आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या हाल के दिनों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग बढ़ी है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) कृषि क्षेत्र में मजदूरों का पलायन किस हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग में बढ़ोतरी का कारक है;
- (च) क्या औद्योगिक इकाइयों, रेलवे पर्यटन और विमानन क्षेत्र में विद्युत की मांग में गिरावट, शहरी क्षेत्रों में कम विद्युत की मांग के लिए जिम्मेदार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या विगत दो महीनों के दौरान शहरी क्षेत्रों में विद्युत की मांग में वृद्धि के कोई संकेत मिले हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार समय मांग तथा आपूर्ति का राज्य-वार तथा माह-वार आकलन किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 हेतु भार उत्पादन तुलन रिपोर्ट (एलजीबीआर) प्रकाशित की गई थी, जिसमें मार्च, 2020 से सितंबर, 2020 तक के माह शामिल हैं। भारत सरकार या इसका कोई भी संगठन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मांग को विभाजित नहीं करता।

(घ) : विद्युत की आवश्यकता मौसम तथा आर्थिक गतिविधियों के दायरे सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। प्रवासन से भी विद्युत की खपत ढांचे पर प्रभाव पड़ा है।

(ङ) और (च) : व्यस्ततम विद्युत और ऊर्जा के संदर्भ में विद्युत की माह-वार मांग एवं आपूर्ति का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अप्रैल, 2019 की तुलना में अप्रैल, 2020 में व्यस्ततम मांग एवं ऊर्जा की आवश्यकता में 23-24 प्रतिशत की गिरावट आई है। मई, 2020 से व्यस्ततम मांग एवं ऊर्जा की आवश्यकता महीने दर महीना बढ़ रही है। गत वर्ष की समरूपी अवधि की तुलना में वर्तमान सितंबर 2020 माह में (14 सितंबर, 2020 तक) व्यस्ततम मांग एवं ऊर्जा आवश्यकता में नाममात्र वृद्धि हुई है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 819 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मार्च, 2020 से सितंबर, 2020 (14 सितंबर, 2020 तक) के दौरान विद्युत की माह-वार मांग एवं आपूर्ति का ब्यौरा

व्यस्ततम मांग और प्राप्त की गई व्यस्ततम मांग में वृद्धि (अखिल भारतीय स्तर पर)										
माह	मार्च 2020 – सितंबर 2020				मार्च 2019 – सितंबर 2019				वृद्धि	
	व्यस्ततम मांग	प्राप्त की गई व्यस्ततम मांग	अधिशेष/ कमी (-)		व्यस्ततम मांग	प्राप्त की गई व्यस्ततम मांग	अधिशेष/ कमी (-)		व्यस्ततम मांग में वृद्धि	प्राप्त की गई व्यस्ततम मांग में वृद्धि
	एमडब्ल्यू	एमडब्ल्यू	एमडब्ल्यू	%	एमडब्ल्यू	एमडब्ल्यू	एमडब्ल्यू	%	%	%
मार्च 2020	1,70,749	1,70,165	-584	-0.3	1,69,315	1,68,745	-570	-0.3	0.8%	0.8%
अप्रैल 2020	1,33,200	1,32,733	-467	-0.4	1,77,424	1,76,810	-613	-0.3	-24.9%	-24.9%
मई-2020	1,66,890	1,66,225	-664	-0.4	1,83,547	1,82,533	-1,014	-0.6	-9.1%	-8.9%
जून-2020	1,66,686	1,64,982	-1,705	-1.0	1,83,804	1,82,454	-1,350	-0.7	-9.3%	-9.6%
जुलाई-2020	1,71,510	1,70,408	-1,101	-0.6	1,77,130	1,75,124	-2,006	-1.1	-3.2%	-2.7%
अगस्त-2020	1,67,535	1,67,499	-36	0.0	1,79,159	1,77,525	-1,634	-0.9	-6.5%	-5.6%
सितंबर- 2020 (14 सितंबर तक)	1,75,021	1,74,331	-690	-0.4	1,74,999	1,73,158	-1,841	-1.1	0.0%	0.7%

ऊर्जा आवश्यकता और उपलब्धता में वृद्धि (अखिल भारतीय स्तर पर)										
माह	मार्च 2020 – सितंबर 2020				मार्च 2019 – सितंबर 2019				वृद्धि	
	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की उपलब्धता	ऊर्जा अधिशेष/कमी(-)		ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की उपलब्धता	ऊर्जा अधिशेष/कमी(-)		ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि	ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि
	एमयू	एमयू	एमयू	%	एमयू	एमयू	एमयू	%	%	%
मार्च-2020	99,382	98,952	-430	-0.4	1,08,508	1,08,355	-153	-0.1	-8.4%	-8.7%
अप्रैल-2020	85,030	84,550	-480	-0.6	1,10,567	1,10,112	-455	-0.4	-23.1%	-23.2%
मई-2020	1,02,651	1,02,089	-562	-0.5	1,20,659	1,20,020	-639	-0.5	-14.9%	-14.9%
जून-2020	1,05,556	1,05,086	-471	-0.4	1,18,573	1,17,988	-585	-0.5	-11.0%	-10.9%
जुलाई-2020	1,12,341	1,12,147	-194	-0.2	1,17,226	1,16,485	-741	-0.6	-4.2%	-3.7%
अगस्त-2020	1,09,833	1,09,657	-177	-0.2	1,12,119	1,11,521	-598	-0.5	-2.0%	-1.7%
सितंबर 2020 (14 सितंबर तक)	53,192	53,170	-22	0.0	52,954	52,685	-269	-0.5	0.4%	0.9%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-822

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

बोकारो ताप विद्युत संयंत्र में अनियमितताएं

822. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बोकारो ताप विद्युत संयंत्र (बीटीपीएस) में बड़े पैमाने पर अनियमितता के मामले प्रकाश में आए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त मामलों में से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिसमें कार्रवाई की गई है और कितने मामले लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ): बोकारो स्थित बोकारो ताप विद्युत स्टेशन (बीटीपीएस) के राख तालाब के टूटने की एक घटना 12.09.2019 को संज्ञान में आई । इस तथ्य की छानबीन करने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डीवीसी के कार्यकारी निदेशक स्तर के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया गया था। तत्पश्चात, सदस्य-सचिव एवं सदस्य (तकनीकी) और एक बाह्य विशेषज्ञ अर्थात् सदस्य (थर्मल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को शामिल करते हुए डीवीसी बोर्ड सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने पाया कि कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ चूक हुई है। इन अधिकारियों के विरुद्ध मौजूदा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-823

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

वैद्युत आधारभूत ढांचे का विनाश

823. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार भयानक चक्रवाती तूफान "फणि" के कारण पुरी और जिलों के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विद्युत ढांचे के विनाश से अवगत है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का ओडिशा राज्य के तटीय क्षेत्र में एबी केबल के बजाय यूजी केबल द्वारा अन्नावृत कंडक्टरों को बदलने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : गृह मंत्रालय द्वारा गठित अंतर्मंत्रालयी केंद्रीय दल को ओडिशा सरकार द्वारा प्रस्तुत जापन के अनुसार, विद्युत संबंधी अवसंरचना को 1159.77 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है। इसके ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ.) : यह संबंधित विद्युत वितरण युटिलिटी का उत्तरदायित्व है कि अपने आपूर्ति क्षेत्र में, यदि आवश्यक हो तो, भूमिगत तार बिछाने सहित पर्याप्त वितरण अवसंरचना बिछाते हुए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करे। तदनुसार, यूजी/एबी तारों के संबंध में ओडिशा की विद्युत वितरण यूटिलिटी (यूटिलिटियों) द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

भारत सरकार समय-समय पर शुरू की गयी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए विद्युत वितरण युटिलिटियों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। हाल ही में, भारत सरकार ने विद्युत वितरण अवसंरचना तंत्र के सुदृढीकरण एवं विस्तार के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है। आईपीडीएस के अंतर्गत, चिन्हित क्षेत्रों में भूमिगत तार बिछाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ओडिशा राज्य के लिए 30 किमी भूमिगत तार की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से 14 किमी चालू हो चुकी है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 823 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पुरी और राज्य के अन्य जिलों सहित ओडिशा राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	मात्रा	ओडिशा सरकार द्वारा दिए गए हानि के अनुमानित आंकड़े (करोड़ रुपये में)
1	220 केवी और 132 केवी टॉवर्स और लाइनों को नुकसान			91.00
2	विद्युत ट्रांसफॉर्मरों को नुकसान	संख्या	26	17.77
3	33 केवी लाइनों को नुकसान	किमी	6078	24.50
4	11 केवी और एलटी लाइनों को नुकसान	किमी	107132	535.66
5	वितरण ट्रांसफॉर्मरों को नुकसान	संख्या	12042	120.42
6	खम्बों को नुकसान (11 केवी तक)	संख्या	202690	81.07
7	खम्बों को नुकसान (33केवी)	संख्या	16715	6.69
8	वीसीबी, इंसुलेटरों, स्विच लाइटिंग अरेस्टर और लेबर कॉस्ट आदि को नुकसान	एलएस		282.66
	कुल (रुपये करोड़ में)			1159.77

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-831

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

सीपत परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण

831. श्री अरूण सावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की सीपत परियोजना के लिए कुल कितने भूस्वामियों की कुल कितनी भूमि को अधिग्रहित किया गया है;
- (ख) भूमि से बेदखल कितने लोगों अथवा उनके रिश्तेदारों को भूमि के बदले नौकरी प्रदान की गयी है और कितने लोगों को अभी नौकरी दिया जाना बाकी है;
- (ग) क्या केंद्र सरकार के अन्तर्गत विभिन्न संयंत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले भूमि से बेदखल लोगों को नौकरी देने के लिए कोई नियम अथवा मापदंड बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सीपत एनटीपीसी इन नियमों और मापदंडों का पालन कर रहा है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : एनटीपीसी सीपत परियोजना के संबंध में 3,765 भूस्वामियों (खातेदारों) से कुल 2,318.84 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहीत की गई है।

(ख) से (च) : ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) "भूमि के लिए भूमि-एलएफएल" का प्रावधान एनटीपीसी सीपत की अनुमोदित पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) 2000 में किया गया है। एलएफएल के अंतर्गत पात्र परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीज) को भूमि मुआवजा राशि के अलावा "पुनर्वास अनुदान" प्रदान किए गए थे।

सभी 3,765 खातेदारों को एनटीपीसी द्वारा भूमि मुआवजा राशि का भुगतान जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया था। तथापि, भूमि के लिए भूमि (एलएफएल) का विकल्प 3,765 खातेदारों में से केवल

3,725 खातेदारों द्वारा ही दिया गया था और 40 खातेदारों ने एलएफएल का विकल्प नहीं दिया था। 3,725 खातेदारों में से, 624 खातेदार पात्र नहीं थे और 3,101 खातेदार पुनर्वास अनुदान के लिए पात्र थे [क्योंकि सीपत के लिए अनुमोदित आर एण्ड आर योजना के अनुसार पुनर्वास लाभों के लिए अंतिम तारीख और पात्रता (i) एक व्यक्ति जिसकी जमीन परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई है अर्थात् खातेदार और उक्त व्यक्ति किसी भी प्रभावित गांव में रह रहा है और (ii) वह व्यक्ति एलए अधिनियम, 1894 के अंतर्गत धारा 4 (1) की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम-से-कम एक वर्ष पहले से भूस्वामी है]। 3,011 खातेदारों द्वारा पुनर्वास अनुदान और भूमि मुआवजा राशि प्राप्त की गई थी और शेष 90 खातेदार व्यक्तिगत विवादों और न्यायालयी मुकदमों के कारण लंबित हैं।

(ii) परियोजना गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक गतिविधियों में से, हकदारी भूमि मुआवजा और पुनर्वास अनुदान के अलावा, उपरोक्तानुसार, कुल 3,101 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से व्यक्तिगत परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त लाभ भी दिया गया था:

अतिरिक्त आर्थिक अवसर	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या
स्थायी रोजगार	395
संविदा एजेंसियों के साथ द्वितीयक रोजगार	500
दुकान आबंटन	16
किराए पर वाहन लेना	33
सहकारी सोसायटियों के माध्यम से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को जोड़ना	273
उप-जोड़	1,217
परियोजना प्रभावित व्यक्ति जिन्होंने कोई अतिरिक्त आर्थिक अवसर नहीं लिया	1,884
कुल	3,101

(iii) कौशल विकास के अंतर्गत, 248 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आईटीआई प्रशिक्षण दिया गया था। 248 आईटीआई प्रशिक्षित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से, 228 को स्थायी रोजगार मिल गया है (उपरोक्त 395 की सूची में शामिल)।

(iv) इसके अलावा, वर्ष 2008 में आयोजित त्रि-पक्षीय बैठक में लोगों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अनुरोध पर एनटीपीसी की आर एण्ड आर नीति के अनुसार पात्रता, रिक्त पदों की उपलब्धता, एनटीपीसी की भर्ती नीति और आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नीति के अध्यधीन 626 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार पर सहमति बनी थी। 2008 से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की भर्ती का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	सीधे रोजगार की संख्या
1.	त्रि-पक्षीय बैठकों के कार्यवृत्त और जिला प्रशासन द्वारा अग्रेषित वरीयता सूची के अनुसार भर्ती	395
2.	विचार किए गए किन्तु विवाद/दस्तावेजों के अभाव (कुछ मामलों में लंबित कानूनी मामलों को ध्यान में रखते हुए सीटें ब्लॉक की गईं) के कारण प्रस्ताव जारी नहीं किया गया है।	30
3.	कुल पद जिनके लिए भर्ती का संचालन किया गया।	425

* नियुक्ति प्रस्ताव परियोजना प्रमाणित व्यक्तियों के पारिवारिक विवादों, उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने और लंबित कानूनी मामलों आदि के कारण जारी नहीं किए जा सके।

(v) शेष 201 रिक्तियों में 47 अनारक्षित/अन्य श्रेणियों और बैकलॉग सहित अनुसूचित जनजाति के 154 आरक्षित पद शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा अग्रेषित वरीयता सूची में कोई अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवार शेष नहीं है। इसलिए, शेष एसटी पदों को भरने के लिए जिला प्रशासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। इस मामले में जिला प्रशासन के दिशानिर्देश के अनुसार एसटी के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की जाएगी। शेष 47 पदों (एसटी के लिए चिन्हित पदों के अलावा) के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी है। तथापि, स्टाफ नर्स, कनिष्ठ आशुलिपिक आदि पदों के लिए वरीयता सूची में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण, इन पदों पर भर्ती के लिए एनटीपीसी सीपत ने पात्र परियोजना प्रमाणित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में जिला प्रशासन से सहायता मांगी है। पात्र परियोजना प्रमाणित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाने के बाद ही भर्ती की गतिविधि आरम्भ की जा सकती है।

(vi) परियोजना विशिष्ट आर एण्ड आर योजनाएं सरकारी दिशानिर्देशों/नीतियों एवं एनटीपीसी की आर एण्ड आर नीति को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन सहित पणधारकों के परामर्श से विकसित की जाती है। इन आर एण्ड आर योजनाओं में परियोजना प्रभावित परिवारों/ परियोजना प्रमाणित व्यक्तियों के लिए नौकरी के बदले वार्षिक भत्ते के रूप में पुनर्वास अनुदान (आरजी) अथवा एक बारगी एकमुश्त पुनर्वास अनुदान का प्रावधान होता है।

(vii) सीपत की पुनर्वास कार्रवाई योजना (आरएपी 2000) एनटीपीसी की आर एण्ड आर नीति पर आधारित है। वर्ष 2008 से, त्रि-पक्षीय बैठकों के अनुसार, एनटीपीसी, जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई वरीयता सूची में, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए सहमत पदों पर भर्ती का संचालन करता रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-854

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन प्रदान करना

854. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में हर घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, उक्त कार्य हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि अभिनिर्धारित और व्यय की गई है;
- (घ) विद्युतीकृत हो चुके और अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए घरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
- (ङ) सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से यह काम पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ.) : भारत सरकार ने सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों के लिए अंतिम छोर कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार से 12,320.00 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- "सौभाग्य" शुरू की थी।

सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर घोषणा की कि 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। देश भर में सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से 31.03.2019 तक 2.63 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके बाद, सात राज्यों ने 31 मार्च, 2019 से पहले चिह्नित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी है, जोकि पहले इच्छुक नहीं थे, परंतु बाद में, कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे। राज्यों से इन घरों को सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकृत करने के लिए कहा गया है। इनमें से, 31.08.2020 तक 15.65 लाख घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं को पिछली किस्त (किस्तों) में जारी निधियों का उपयोग की सूचना देने और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर किस्तों में निधियाँ जारी की जाती हैं। तदनुसार, सौभाग्य के अंतर्गत गत तीन वर्षों और 31.08.2020 तक चालू वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में 5,117 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। सौभाग्य के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरित अनुदान **अनुबंध-III** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 854 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्कीम की शुरुआत से अर्थात् 11.10.2017 से 31.03.2019 के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748
16	मेघालय	1,99,839
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,32,507
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुदुचेरी	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	18,62,736
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,62,84,350

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 854 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 से पहले चिह्नित इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	गैर-विद्युतीकृत घर (पहले अनिच्छुक)	विद्युतीकृत घर		कुल	विद्युतीकृत करने के लिए शेष गैर-विद्युतीकृत घर (31.08.2020 तक)
			01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान	01.04.2020 से 31.08.2020 के दौरान		
1	असम	200,000	197,807	0	197,807	2,193
2	छत्तीसगढ़	40,394	29,534	7,341	36,875	3,519
3	झारखंड	200,000	131,880	7,195	139,075	60,925
4	कर्नाटक*	39,738	26,824	0	26,824	0
5	मणिपुर*	1,141	5,367	0	5,367	0
6	राजस्थान*	228,403	212,786	0	212,786	0
7	उत्तर प्रदेश	1,200,003	788,083	158,135	946,218	253,785
कुल		1,909,679	1,392,281	172,671	1,564,952	3,20,422

* कर्नाटक, मणिपुर एवं राजस्थान राज्यों ने 100% घरों के विद्युतीकरण की पुष्टि कर दी है और विद्युतीकरण किए जाने वाले वास्तविक घरों का शेष शून्य है।

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 854 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अक्टूबर, 2017 में स्कीम की शुरुआत से 31.08.2020 तक सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित राज्य-वार एवं वर्ष-वार अनुदान का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 31.08.2020 तक	कुल
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	139	14	-	153
2.	असम	42	403	121	37	603
3.	बिहार	115	199	136	17	468
4.	छत्तीसगढ़	43	219	32	27	320
5.	हरियाणा	-	-	3	-	3
6.	हिमाचल प्रदेश	-	1	3	-	4
7.	जम्मू एवं कश्मीर	2	51	-	-	53
8.	झारखंड	70	83	4	-	157
9.	कर्नाटक	-	-	39	-	39
10.	केरल	15	-	26	13	55
11.	मध्य प्रदेश	260	147	-	-	407
12.	महाराष्ट्र	15	140	43	-	198
13.	मणिपुर	6	35	33	10	84
14.	मेघालय	-	98	88	1	187
15.	मिजोरम	-	35	-	6	41
16.	नागालैंड	5	34	-	-	39
17.	ओडिशा	76	168	-	-	245
18.	राजस्थान	-	103	76	42	222
19.	सिक्किम	-	-	1	1	2
20.	तेलंगाना	-	-	15	-	15
21.	त्रिपुरा	-	237	8	0	245
22.	उत्तर प्रदेश	864	523	26	-	1,412
23.	उत्तराखंड	13	22	7	-	43
24.	पश्चिम बंगाल	14	73	20	16	123
	कुल	1,541	2,709	696	171	5,117

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-867

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के सम्मुख आर्थिक संकट

867. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

- डॉ. सुकान्त मजूमदार:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भोला सिंह:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या लॉकडाउन के दौरान कम विद्युत खपत के कारण विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने संशोधित विद्युत प्रशुल्क नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या देशभर में समान विद्युत प्रशुल्क ढांचे की तत्काल आवश्यकता है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान, कम विद्युत खपत से विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉमों) के सामने आई समस्याओं को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, सरकार ने विद्युत क्षेत्र में पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड तथा आरईसी लिमिटेड के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी प्रदान करने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा 90,000 करोड़ रुपये के

घोषित लिक्विडिटी निषेचन पैकेज के अंतर्गत 14.09.2020 तक 70,590 करोड़ रु के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा दिनांक 24,742 करोड़ रुपये पहले से ही जारी/वितरित किए जा चुके हैं।

(ग) : सरकार ने विद्युत क्षेत्र की निरंतरता सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, पर्यावरणिक मुद्दों पर ध्यान देने, प्रदर्शन में सुधार करने इत्यादि के साथ-साथ वितरण क्षेत्र की दक्षता और जवाबदेही पर ध्यान देते हुए टैरिफ नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) : सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन प्रारूप प्रस्तावित किए हैं तथा उसे हितधारकों की टिप्पणी के लिए परिचालित किया है।

(ड.) और (च) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत की खुदरा आपूर्ति टैरिफ तय करने का दायित्व संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यक्षेत्र में आता है। खुदरा आपूर्ति टैरिफ देशभर के वितरण लाइसेंसधारकों में भिन्न-भिन्न होता है। यूटिलिटियों में टैरिफ संरचनाएं स्वाभाविक रूप से भिन्न-भिन्न होती हैं क्योंकि सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियाँ सहित डिस्कॉम विशिष्ट विद्युत क्रय करारों (पीपीए), उपभोक्ता श्रेणी/उपभोक्ता वर्ग की भिन्नता, भौगोलिक क्षेत्र, दक्षता स्तर इत्यादि के अनुसार अलग-अलग डिस्कॉमों में सेवा लागत अलग-अलग हो जाती है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, विनियामक आयोग टैरिफ नीति के मार्ग निर्देशन में अपने डिस्कॉमों में उपभोक्ताओं के खुदरा टैरिफ को मंजूरी देने से पहले यथोचित उद्यम करते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई टैरिफ नीति, 2016 के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा एक रोडमैप इस तरह से अधिसूचित किया जाएगा कि टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत को $\pm 20\%$ के भीतर लाया जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-871

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

स्टार रेटिंग तकनीक

871. श्री जॉन बर्ला:

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:

श्री नायब सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 'स्टार रेटिंग' तकनीक अधिक ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरणों के ऊर्जा बचत के उद्देश्य को पूरा करता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऊर्जा उपकरणों को तदनुसार वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) स्टार लेबल वाले या स्टार रेटिंग के लिए चुने गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या उपकरणों में प्रौद्योगिकीय बदलाव का भी अनुमोदन किया गया है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : स्टार रेटिंग तकनीक ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उपकरणों एवं यंत्रों में, इन उपकरणों एवं यंत्रों के ऊर्जा निष्पादन को इष्टतम करते हुए ऊर्जा बचत के लक्ष्य की पूर्ति करती है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम में ऊर्जा निष्पादन मानदण्डों के आधार पर, संबंधित श्रेणी से प्रत्येक पंजीकृत यंत्र के लिए 1 से 5 स्टार रेटिंग (सर्वाधिक कुशल होने के लिए 5 स्टार) की व्यवस्था है। इस योजना से वर्ष 2018-19 में 55.7 बिलियन यूनिट (बीयू) विद्युत की बचत होने की सूचना है।

(ग) और (घ) : मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत, 26 यंत्रों को कवर किया गया है, जिनमें से 10 अनिवार्य व्यवस्था के अंतर्गत हैं और शेष 16 स्वैच्छिक व्यवस्था के अंतर्गत हैं। इस कार्यक्रम के तहत शामिल यंत्रों एवं उपकरणों के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ड.) और (च) : बीईई का स्टार लेबलिंग कार्यक्रम प्रौद्योगिकी संशयवादी है। यह कार्यक्रम यंत्र में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बिना, इसके ऊर्जा निष्पादन के आधार पर 1 से 5 के पैमाने पर रेटिंग करता है। प्रौद्योगिकी में उन्नतियों को ध्यान में रखते हुए, बीईई आवधिक रूप से यंत्रों के ऊर्जा निष्पादन को उन्नत करता है, ताकि बाजार में अधिक ऊर्जा कुशल यंत्रों की उपलब्धता बढ़े। बाजार में परिवर्तन के आधार पर, यंत्रों को स्वैच्छिक व्यवस्था से अनिवार्य व्यवस्था में शिफ्ट भी किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 871 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत कवर किए गए उपकरणों और उपकरणों का विवरण:

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण	क्र.सं.	स्वैच्छिक उपकरण
1	रूम एयर कंडीशनर	1	इंडक्शन मोटर्स
2	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजिटेर	2	पंप सेट
3	ट्यूबूलर फ्लोरोसेंट लैंप	3	छत पंखे
4	वितरण ट्रांसफार्मर	4	एलपीजी-स्टोव
5	रूम एयर कंडीशनर (कैसेट, तल स्थायी)	5	वॉशिंग मशीन
6	डायरेक्ट कूल रेफ्रीजिरेटर	6	कंप्यूटर (नोटबुक / लैपटॉप)
7	रंगीन टेलीविजन	7	गिट्टी (इलेक्ट्रॉनिक / चुंबकीय)
8	इलेक्ट्रिक गीजर	8	कार्यालय उपकरण (प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर, एमएफडी का)
9	परिवर्तनशीलता गतिक (इन्वर्टर) एयर कंडीशनर	9	डीजल इंजन चालित मोनो-सेट पंप
10	एलईडी लैंप	10	सॉलिड स्टेट इन्वर्टर
		11	डीजल जेनरेटर सेट
		12	चिल्लर्स
		13	माइक्रोवेव ओवेन
		14	लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर
		15	सौर जल तापक
		16	डीप फ्रीज़र्स

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-911

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत की सुविधा का लाभ

911. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में आज तक विद्युतीकृत किये गये घरों की संख्या कितनी है तथा उन घरों की संख्या कितनी है जिनमें विद्युत की सुविधा नहीं है;
- (ख) क्या सभी विद्युतीकृत घरों में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन घरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है, जिनमें चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं होती;
- (घ) देशभर में सभी घरों में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति न कर पाने के क्या कारण हैं; और
- (ङ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रत्येक घर में प्रतिदिन औसतन कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों के लिए अंतिम छोर कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" शुरू की।

सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर घोषणा की कि 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। देश भर में सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से 31.03.2019 तक 2.63 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

इसके बाद, सात राज्यों ने 31.03.2019 से पहले चिह्नित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी है, जोकि पहले इच्छुक नहीं थे, परंतु बाद में कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे। राज्यों

से इन घरों को सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकृत करने के लिए कहा गया है। इनमें से, 31.08.2020 तक 15.65 लाख घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख) से (घ.) : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अप्रैल, 2019 से सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ 'सभी को 24x7 विद्युत' दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विद्युत तक पहुंच प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है।

(ड.) : राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के राज्य-वार औसत घंटे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 911 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्कीम की शुरुआत से अर्थात् 11.10.2017 से 31.03.2019 के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748
16	मेघालय	1,99,839
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,32,507
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुदुचेरी	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	18,62,736
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
	कुल	2,62,84,350

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 911 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 से पहले चिह्नित इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	गैर-विद्युतीकृत घर (पहले अनिच्छुक)	विद्युतीकृत घर		कुल	विद्युतीकृत करने के लिए शेष गैर-विद्युतीकृत घर (31.08.2020 तक)
			01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान	01.04.2020 से 31.08.2020 के दौरान		
1	असम	200,000	197,807	0	197,807	2,193
2	छत्तीसगढ़	40,394	29,534	7,341	36,875	3,519
3	झारखंड	200,000	131,880	7,195	139,075	60,925
4	कर्नाटक*	39,738	26,824	0	26,824	0
5	मणिपुर*	1,141	5,367	0	5,367	0
6	राजस्थान*	228,403	212,786	0	212,786	0
7	उत्तर प्रदेश	1,200,003	788,083	158,135	946,218	253,785
	कुल	1,909,679	1,392,281	172,671	1,564,952	3,20,422

* कर्नाटक, मणिपुर एवं राजस्थान राज्यों ने 100% घरों के विद्युतीकरण की पुष्टि कर दी है और विद्युतीकरण किए जाने वाले वास्तविक घरों का शेष शून्य है।

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 911 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	अगस्त, 2020 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे
1.	आंध्र प्रदेश	23.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.30
3.	असम	19.00
4.	बिहार	20.27
5.	छत्तीसगढ़	23.33
6.	गुजरात	24.00
7.	हरियाणा	16.82
8.	हिमाचल प्रदेश	24.00
9.	जम्मू और कश्मीर	16.75
10.	झारखंड	18.39
11.	कर्नाटक	18.97
12.	केरल	24.00
13.	लद्दाख	15.25
14.	मध्य प्रदेश	23.57
15.	महाराष्ट्र	24.00
16.	मणिपुर	23.50
17.	मेघालय	18.50
18.	मिजोरम	15.00
19.	नगालैंड	20.00
20.	ओडिशा	23.00
21.	पंजाब	24.00
22.	राजस्थान	22.00
23.	सिक्किम	16.75
24.	तमिलनाडु	24.00
25.	तेलंगाना	24.00
26.	त्रिपुरा	23.50
27.	उत्तर प्रदेश	18.21
28.	उत्तराखंड	18.21
29.	पश्चिम बंगाल	24.00
